

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 867] No. 867] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2016 ∕चैत्र 19, 1938 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2016/ CHAITRA 19, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2016

का.आ. 1363(अ).—िनम्निलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविध के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया सिविल जिले में 340 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह एकल पारिस्थितिक इकाई है, जो मूल रूप से बहापुत्र और उत्तर में सियांग, लोहित और पूर्व में देवांग नदियों तथा दक्षिण- पूर्व में अनंतनाला और दक्षिण में डांगोरी और डिब्रू नदी का बाढ का मैदान है;

और, इस अभयारण्य में वनस्पति और जीवजंतु के प्रचुर जैविक महत्त्व का प्रतिनिधित्व है;

और, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान एक पारिस्थितिक इकाई है जो मूल रूप से बहापुत्र और उत्तर में सियांग, लोहित और पूर्व में देवांग निदयों तथा दक्षिण- पूर्व में अनंतनाला और दक्षिण में डांगोरी और डिब्रू नदी का बाढ का मैदान है। डिब्रू 1758 GI/2016 (1) साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान कई पशुओं और पिक्षयों के लिए वास-स्थान है। क्रोड में कुल स्तनधारियों की 36 प्रजातियों के 10 वर्ग और 19 प्रजातियों और 27 जेनेरा को दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान में स्तनधारियों की 36 प्रजातियों में से 12 सूची-। में है, 11 कछुओं की प्रजातियाँ, 9 छिपकली की प्रजाति में 2 मॉनीटर छिपकलियां शामिल, 18 उभयचरों की प्रजातियाँ, 104 मछिलयों की प्रजातियाँ, 23 भिन्न सांपों की प्रजातियां और 104 तितिलयों की प्रजातियों के अलावा 500 पक्षी जीवजंतु की प्रजातियां उपस्थित है;

क्षेत्र पक्षियों में प्रवासी पक्षी और जलीय एवं स्थलीय पक्षियों की विविधता के लिए पोषक मैदान भी आकर्षित करता है। उद्यान में मुख्य स्तनधारियों प्रजातियों में से एक जंगली घोड़ो मौजूद हैं;

और, डिब्रू साइखोवा, जैव- भौगोलिक दृष्टि से "उत्तरी पूर्वी भारत–ब्रहमपुत्र घाटी जैव- भौगोलिक प्रांत" (9ए), का प्रतिनिधित्व करता है, दो प्रमुख जैव विविधता तप्त स्थान के जोन परिवर्तन में वनस्पति और जीवजंतु प्रचुर है, जो जीवजंतु की विविधता का संभरण करता है और क्षेत्रीय, जलीय और वृक्षवासी पारिस्थितिक तंत्र में जीव को अपनाते है;

और, राष्ट्रीय उद्यान ब्रहमपुत्र नदी में गैर- आबादी द्वीप है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भू-आकृति–वैज्ञानिक का अदितीय आधार है;

और, जल चैनल इंडो-जेनेटिक डॉलिफन के लिए महत्त्वपूर्ण वास स्थान बनाता है,जो राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन की ब्रहमपुत्र नदी में मुडती है;

और, सर्दी में शुष्कित निदयां भी बालू भित्ति (चापोरिस) जलोढ चरागाह के विकास के लिए आवश्यक है जो संकटापन्न बंगाल फलोरिकन विवेचित पक्षियों के लिए उत्कृष्ट वास स्थान है डिब्रू-डांगोरी हाथी गलियारे में हाथियों के लिए प्रवसन मार्ग आवश्यक है;

और, यह माना जाता है कि पूर्वी अरूणाचल प्रदेश वन के डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान से घासभूमि द्वारा बाघों का संचलन होता है, जो क्षेत्र में बाघ संचलन का विकास करता है;

और, इस क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना आवश्यक है तथा जिसके विस्तार और सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है और पर्यावरण की दृष्टि से उद्योगों या उद्योगों के वर्ग को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राज्य में डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 9.144 किलोमीटर तक के विस्तार तक के क्षेत्र को डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

- 1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**-(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 9.144 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका विस्तार डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध ।** पर दी गई है तथा डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के साथ जीपीएस समन्वयक बिंदु **उपाबंध** ॥ के रूप में उपाबद्ध है।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र सीमा के ब्यौरों और अक्षांश और देशांतर सहित **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है।

- **2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना**—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
- (2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हो, द्वारा तैयार होगी।
- (4) आंचलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य के सभी संबद्घ विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--
 - (i) पर्यावरण;
 - (ii) वन ;
 - (iii) नगर विकास ;
 - (iv) पर्यटन :
 - (v) नगरपालिक ;
 - (vi) राजस्व ;
 - (vii) कृषि ;
 - (viii) असम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;
 - (ix) सिंचाई; और
 - (x) लोक निर्माण विभाग।
- (5) महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्वंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी।
- (6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान एवं प्रस्तावित पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।
- (8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास के पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।
- (9) असम राज्य सरकार उसके क्षेत्राधिकार के क्षेत्रों के लिए पृथक् आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात:--
- (1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, पैरा 4 के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 9, 21, 31, 35 और 36 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थातु:-

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ बनाना ;
- (iii) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग ;
- (iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं हैं; और
- (v) वर्षा जल संचयन।

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

- (2) **प्राकृतिक जल-स्रोत** -आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।
- (3) **पर्यटन** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप होंगे।
- (ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, राज्य सरकार के राजस्व और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।
- (ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-
 - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के पारिस्थितिक पर्यटन मार्गदर्शक द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा:
 - (ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय डिब्र्– साइखोवा की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा;

परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा।

- (iii) आंचिलक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।
- (4) **नैसर्गिक विरासत -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।
- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।
- (6) **ध्विन प्रदूषण** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (7) **वायु प्रदूषण** पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (8) **बहिस्नाव का निस्सारण** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्नाव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।
- (9) ठोस अपशिष्ट ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -
 - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 को प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा:
 - (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
 - (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
 - (iv) अकार्बिनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपिशष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।
- (10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और प्रवृत्त नियमों और इसके अध्यधीन बनाए गए विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) औद्योगिक इर्काइयां

- (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ट आधारित उद्योगों का स्थापना विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ट आधारित उद्योग के सिवाय अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे ।
- (ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्विन प्रदूषण के कोई नए उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी ।
- 4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी	
(1)	(2)	(3)	
	2	तिषिद्ध क्रियाकलाप	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और व्यक्तिक उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है।	
		(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल)	
		सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के	
		मामले में आदेश तारीख 4.अगस्त 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012	
		का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.अप्रैल	
		2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।	
(2)	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।	
(3)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।	
(4)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।	
(5)	नई बृहत जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।	
(6)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।	
(7)	नए, तेल गैस और खनिज के लिए विस्फोट, जिसके अंतर्गत भेदन/खनिज गैस सर्वेक्षण आदि हैं।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।	
(8)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्नाव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।	
विनियमित क्रियाकलाप			
(9)	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी	

(10)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना। संनिर्माण क्रियाकलाप।	अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा। लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (क) संरक्षित क्षेत्र की एक किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:
		परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सिंहत उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमित दी जाएगी। (ख) ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ग) एक किलोमिटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।
(12)	ट्रेन्चिंग ग्राउंड ।	नए ट्रेन्चिंग ग्राउंड की स्थापना प्रतिषिद्ध है । पुराने ट्रेन्चिंग ग्राउंड को लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।
(13)	प्राकृतिक जल निकायों में बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्ट का निस्सारण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(14)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(15)	ध्वनि प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(16)	भूमिगत जल का निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(17)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा कार्ययोजना में दिए गए विवरण का अनुसरण किया जाएगा।
(18)	प्रवासी चारवाहे।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(19)	मोबाइल दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(20)	विद्युत लाईनों का इन्सुलेशन	भूमिगत केबल डालने का संवर्धन किया जाएगा । सभी विद्यमान विद्युत लाईनें जो पारिस्थितिक संवेदी जोन से होकर गुजरती हैं, को आंचलिक महायोजना के अधीन विहित समय सूची में पर्याप्त रूप से इन्सुलेट किया जाएगा।
(21)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	यथा लागू उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा ।
(22)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर वन्यजीव के मुक्त संचरण के लिए, होटल या अन्य वाणिज्यिक स्थापना अपनी संपत्तियों को कंटीले तार से घेराबंदी नहीं करेंगे और कोई भी घेराबंदी 1 मीटर से ऊंची नहीं होगी। इस अनुबंध का पालन न करने वाले किसी

		विद्यमान घेराबंदी को आंचलिक महायोजना में वर्णित समय-सीमाओं के			
		अनुसार उपांतरित किया जाएगा ।			
(23)	प्लास्टिक बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।			
(24)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का	लागु विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।			
(2.)	संग्रहण ।				
(25)	कृषि प्रणालियों में प्रबल परिवर्तन	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।			
(26)	प्राकृतिक जल संसाधनों का वाणिज्यिक	लागु विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।			
(20)	उपयोग, जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी				
	है।				
(27)	रात्रि में यानिक परिवहन का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।			
(= /)					
(28)	विदेशी प्रजातियों का प्रारंभ ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।			
(20)					
(29)	साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागु विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।			
(20)					
(30)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	कोई संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अधीन तब तक अनुज्ञात			
(00)		नहीं किया जाएगा जब तक 1 से 10 से अधिक पहाड़ी ढलानों पर और किसी			
		नदी के तटों से 100 मीटर तक और प्राकृतिक नाले को बनाने की कार्रवाई			
		नहीं कर ली जाए ।			
(31)	प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा			
		उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक			
		उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं			
		डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।			
	;	संवर्धित क्रियाकलाप			
(32)	स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रहे कृषि	सिक्रय रूप से बढावा दिया जाएगा ।			
()	और बागवानी व्यवसायों के साथ पशुपालन,	,			
	पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली				
	पालन।				
(33)	जैविक खेती।	सिक्रय रूप से बढावा दिया जाएगा ।			
(34)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।			
	को ग्रहण करना ।				
(35)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।			
	भी हैं।				
(36)	वर्षा जल संचयन।	सिक्रय रूप से बढावा दिया जाएगा ।			
(37)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।			
()		<u>'</u>			

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

उपायुक्त, तिनसुकिया - अध्यक्ष ;
 उपायुक्त, डिब्रूगढ का प्रतिनिधि - सदस्य ;
 पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में असम राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि - सदस्य;
 तिनसुकिया एवं डूम डूमा नगरपालिका बोर्ड/ नगर समिति का अध्यक्ष - सदस्य;

5. भारत सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए गैर सरकारी संगठनों (पर्यावरण, जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण है, के क्षेत्र में कार्य करने वाला) का नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि सदस्य ; 6. परियोजना निदेशक, डीआरडीए, डिब्रूगढ एवं तिनसुकिया जिला सदस्य ; 7. महाप्रबंधक, डीआईसी, डिब्रूगढ एवं तिनस्किया जिला सदस्य ; 8. प्रादेशिक अधिकारी, अमस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – सदस्य : 9. प्रभागीय वन अधिकारी, डिब्रूगढ(टी),डूम डूमा एवं डिगबोई प्रभाग – सदस्य: 10. जिला मत्स्य अधिकारी, डिब्रूगढ एवं तिनसुकिया जिला – सदस्य : 11. जिला कृषि अधिकारी, डिब्रूगढ एवं तिनसुकिया जिला सदस्य ; 12. क्षेत्रीय डीएफओ, तिनसुकिया(डब्ल्यूएल प्रभाग) - सदस्य-सचिव ।

6. निर्देश निबंधन

- (1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलत क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सिम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तिवक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी सिमिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे
- **8.** इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/7/2016-ईएसजेड/आरई] डा. टी चांदनी. वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-।

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्रामो/टी.ई आदि के नाम	जिला	अक्षांश	देशांतर
1	राईदनग गांव	डिब्रूगढ	095° 11'04.6" पू	27° 34' 09.9" ਤ
2	बिनधोटी गांव	डिब्रूगढ	095° 12' 08.7" पू	27° 33' 35.3" ਤ
3	रगमोला गांव	डिब्रूगढ	095° 12' 49.4" पू	27° 34' 07.1" ਤ
4	मीरीगन गांव	डिब्रूगढ	095° 13' 15.1" पू	27° 34' 00.5" ਤ
5	तेनगबरी गांव	डिब्रूगढ	095° 14' 00.1" पू	27° 34' 03.4" ਤ
6	गरेकी गांव	डिब्रूगढ	095° 14' 56.6" पू	27° 33' 54.6" ਤ
7	खमतीगोवाली गांव	तीनसुकिया	095° 16' 43.5" पू	27° 33' 57.6" ਤ
8	ईरासूतीगांव	तीनसुकिया	095° 19' 26.9" पू	27° 35' 27.4" उ
9	गुइजन गांव	तीनसुकिया	095° 19' 29.5" पू	27° 34' 32.6" ਤ
10	दिधासलतरंग गांव	तीनसुकिया	095° 23' 28.7" पू	27° 36' 34.7" ਤ
11	बाघगन गांव	तीनसुकिया	095° 23' 32.2" पू	27° 36′ 20.3" उ
12	कालियापनी गांव	तीनसुकिया	095° 22' 45.8" पू	27° 35' 59.0" ਤ
13	गुजन घाट	तीनसुकिया	095° 19' 30.5" पू	27° 34' 40.5" उ
14	सं.3बोरमुरा गांव	तीनसुकिया	095° 33' 00.6" पू	27° 44' 45.7" उ
15	कापाहतोली गांव	तीनसुकिया	095° 31' 46.0" पू	27° 44' 27.2" उ
16	थेकारातोली गांव	तीनसुकिया	095° 31' 10.9" पू	27° 44' 20.1" उ
17	नोकाटा गांव	तीनसुकिया	095° 31' 15.4" पू	27° 44' 39.6" ਤ
18	कैलाशपुर गांव	तीनसुकिया	095° 30' 41.3" पू	27° 44' 09.7" उ
19	फैलाई गांव	तीनसुकिया	095° 32' 07.9" पू	27° 45' 20.3" ਤ
20	नोरमुरा राई बस्ती	तीनसुकिया	095° 32' 34.7" पू	27° 44' 53.4" ਤ
क्र.सं.	ग्रामो /टी.ई आदि के नाम	जिला	अक्षांश	देशांतर
21	सं. 2 बोरमुरागांव	तीनसुकिया	095° 32' 48.9" पू	27° 45' 10.2" ਤ
22	ना-बोरमुरा गांव	तीनसुकिया	095° 33' 45.0" पू	27° 45' 07.9" ਤ
23	बोरमुरा गांव	तीनसुकिया	095° 34' 51.5" पू	27° 44' 50.6" ਤ

24	मिरिपथर क्रिस्टिन बस्ती	तीनसुकिया	095° 35' 02.6" पू	27° 45' 06.5" ਤ
25	मिरिपथर गांव	तीनसुकिया	095° 35' 30.5" पू	27° 45'21.2" उ
26	डोईजन (दोगयिन)	तीनसुकिया	095° 26' 50.5" पू	27° 38' 31.3" उ
27	रंगागोरा कारखाना	तीनसुकिया	095° 17' 45.12" पू	27° 34'14.43" उ
28	दीनजन चाय भूमि	तीनसुकिया	095° 16' 33.14" पू	27° 33'38.65" ਤ
29	बलिजन चाय भूमि	डिब्रूगढ	095°09' 57.02" पू	27° 32'32.58" ਤ
30	बाघजन चाय भूमि	तीनसुकिया	095° 25' 43.94" पू	27° 36'36.59" ਤ
31	दीधल तरंग	तीनसुकिया	095° 25' 07.48" पू	27° 37'19.07" ਤ

उपाबंध-II

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के चारों ओर के कोणो के भू- निर्देशांक पारिस्थितिक संवेदी जोन डिब्र्- साइखोवा की सीमा का वर्णन


दक्षिण: - डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान की पारिस्थितिक संवेदी सीमा स्टेशन बी-87 के निर्देशांक (095° 09' 41.05" पू,27° 33' 07.91" उ). में 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बलजिन चाय कारखाने के पश्चिम से आरंभ होती है। इसके बाद यह स्टेशन सं बी-69 (095°19' 28.13" पू, 27° 34' 30.51" उ), गुइजन मार्केट के पूर्व से 18 किलोमीटर की ओर जाती है; इसके बाद यह स्टेशन बी-66 (095°21'00.67" पू, 27° 34' 28.54" उ), के निकट, गुइजन मार्केट से लगभग 3 किलोमीटर नतुन गांव की ओर जाती है; स्टेशन बी 65 (095°21'33.16"पू, 27°34'37.51"उ), दक्षिण पूर्व में मगुरी बिल का पूर्ण रूप से 32 किलोमीटर ढंकती है, बी-64, बी-62, बी-61, बी-60, बी-59, बी-58, बी-57, बी-56, बी-55, बी-54, बी-53, बी-52, बी-51, बी-50, बी-49, बी-48, बी-47, बी-46, बी-45, बी-44, बी-43, बी-42, बी-41, बी-40, बी-39, बी-38, बी-37, बी-36, बी-35, बी-34 और बी-33 (095°21'52.83"पू,27°35'17.12" उ), हतीगुली गांव के उत्तर पूर्व में लगभग 29 किलोमीटर की दूरी पर पुन: स्टेशन बी-4 (095° 31' 52.34" पू, 27° 45' 44.78" उ) स्टेशन बी -1 (095° 33' 19.13" पू, 27° 45' 59.36" उ) के निकट जाती है और इसके बाद स्टेशन -188(095° 09' 22.83" पू, 27° 32' 57.71" उ) के निचले तट की ओर लोहित नदी को पार करके जाती है और स्टेशन बी -187 (095° 09' 41.05" पू, 27° 33' 07.91" उ) के ऊपरी तट पर स्टेशन बी-186 (095° 10' 07.97" पू, 27° 33' 29.61" उ). बिलजन चापोरी (मीरी चापोरी) की दक्षिणी सीमा की ओर सामाप्त होती है।

पूर्व:- बिलजन चापोरी से आरंभ होकर जो स्टेशन बी-186 (095° 10' 07.97" पू, 27° 33' 29.61" उ) चापोरी नाम से जानी जाती है, स्टेशन बी-181 (095° 40' 21.40" पू, 27° 49' 57.07" उ) कुनदील ग्राम (सिंदिया घाट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर) में उत्तर पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर की ओर जाती है, स्टेशन बी -182 (095° 40' 53.78" पू, 27° 49' 46.57" उ) में कुनदील नदी को पार करके जाती है।

उत्तर:-ब्रहमपुत्र नदी के दक्षिण तट से, स्टेशन बी-181(095° 40' 21.40" पू, 27° 49' 57.07" उ)के कुनदील ग्राम से आरंभ होकर स्टेशन बी -179 (095° 39' 22.13" पू, 27° 49' 26.94" उ)के घुरमुरा वन की ओर दक्षिण पश्चिम 3 किलोमीटर जाती है, स्टेशन बी -101 (095° 05' 36.96" पू, 27° 36' 31.49" उ) के दक्षिण पश्चिम में 78 किलोमीटर जाती है जो रोहामोरिया चाय गींडन से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर लगभग 6.8 किलोमीटर की दूरी पर जाती है।

पश्चिम:- स्टेशन बी -101 (095° 05' 36.96" पू, 27° 36' 31.49" उ) से आरंभ होकर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बिलजन चाय कारखाने के पश्चिम के रोहमोरिया चाय र्गाडन से 6.8 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम की ओर जाती है आडे- तिरछे स्टेशन बिंदु -87(095° 09' 41.05" पू, 27° 33' 07.91" उ) के निर्देशांक में जाती है।

उपाबंध-III डिब्रू-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन का अक्षांश और देशांतर सहित मानचित्र



उपाबंध- IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रुप विधान

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख।
- 2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
- 3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
- 4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
- 5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
- 6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
- 8. महत्ता का कोई अन्य विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2016

S.O. 1363(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Dibru-Saikhowa National Park located Dibrugarh and Tinsukia Civil District, Assam is spread over an area of 340 square kilometers and the area is a single ecological unit which is basically a flood plain of the River Brahmaputra and Siang in the North, Lohit and Debang in the east, the Ananta Nala to the south east and the Dangori and Dibru River in the south;

AND WHEREAS, the flora and fauna represent rich biological significance of this sanctuary;

AND WHEREAS, the Dibru - Saikhowa National Park is a single ecological unit which is basically a flood plain of the River Brahmaputra and Siang in the North, Lohit and Debang in the east, the Ananta Nala to the south east and the Dangori and Dibru River in the south. Dibru-Saikhowa National Park is the habitat for many animals and birds. A total of 36 species of Mammals belonging to 10 orders and 19 families and 27 genera are recorded in the core. Out of 36 species of mammals 12 belonged to schedule- I . 11 species of

turtles, 9 species of lizard including two monitor Lizards, 18 amphibian species, 104 species of fish, 23 different species of snakes and 104 species of butterflies are present in the National Park besides having about 500 species of avifauna;

The area also attracts birds including Migratory birds and is a feeding ground for a variety of aquatic and terrestrial birds. Feral horses are one of the prime mammal species available in the park;

AND WHEREAS, the Bio-geographically, Dibru-Saikhowa represents the "North Eastern India – Brahmaputra Velly Biogeographically province" (9A), having rich in Flora and Fauna being the transition Zone of two major biodiversity hot spot, which supports fauna is as diverse and adopted to life in terristorial, aquatic and arboreal ecosystem;

AND WHEREAS, the National park is an uninhabited island in river Brahmaputra and an unic geomorphological base in North Eastern Region;

AND WHEREAS, the water channel form an important habitat for the Indo-Genetic Dolphin which move in the proposed Eco- sensitive Zone of the National Park specially in the river Brahmaputra;

AND WHEREAS, in winter dried up river beds as well as the sandbar (Chapories) serve for the development of alluvial grassland which are an excellent habitat for the critically endangered Bengal Florican birds, as well as the Sandbar (Chapories) served as migration route for the elephants in the Dibru- Dangori Elephant Corridor;

AND WHEREAS, it is postulated that the movement of tigers from Dibru-Saikhowa National Park to Eastern Arunachal Pradesh Forest has taken place through grassland which develop the tiger movement in the area;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification surrounding the protected area of Dibru-Saikhowa National Park as Eco-Sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent upto 9.144 kilometres. around the boundary of Dibru-Saikhowa National Park in the State of Assam as the Dibru - Saikhowa National Park Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

- 1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone: (1) The Eco-sensitive Zone shall be an extent upto 9.144 kilometres around the Dibru-Saikhowa National Park and the list of villages falling in the in Eco-sensitive Zone are given at Annexure-I and the GPS Co-ordinates of points along the boundary of Dibru-Saikhowa National Park are given at Annexure-II.
- (2) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as Annexure-III.
- **2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.
 - (2) The said Master Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.
 - (3) The said Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (4) The said Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-
 - (i) Environment,
 - (ii) Forest,
 - (iii) Urban Development,
 - (iv) Tourism,
 - (v) Municipal,
 - (vi) Revenue,

- (vii) Agriculture,
- (viii) Assam State Pollution Control Board,
- (ix) Irrigation, and
- (x) Public Works Department.
- (5) The said Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (6) The said Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.
- (7) The said Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.
- (8) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (9) The State Government of Assam shall prepare separate Zonal Master Plans for area under their jurisdiction.
- 3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 9,21,31,35 and 36 in column (2) of the table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;
- (ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (iii) Small scale industries not causing pollution;
- (iv) Rainwater harvesting; and
- (v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

- (2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.
- (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the department of Tourism, in consultation with the department of Forests and Environment of the State Government.
- (c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;
- (ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Dibru-Saikhowa National Park except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in predefined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.
- (4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, arte facts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Assam State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Ecosensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Assam State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Ecosensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made thereunder.
 - (9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-
- (i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;
- (ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

- (iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
- (iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.
- (11) **Vehicular traffic**. The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.
- (b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.
- 4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks		
(1)	(2)	(3)		
Prohibited Act	ivities			
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal use. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court, dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil)		
		No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court, dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.		
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.		
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Ecosensitive Zone shall be permitted.		
5.	Establishment of new major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
7.	Establishment new oil, Gas & Mineral explosion including drilling/mineral Gas survey etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
8.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable		

	land area.	laws.
Regulated A	ectivities	
9.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or the boundary of Eco-sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities.
		However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities shall be permitted in conformity with the Tourism Master Plan.
10.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated under applicable laws.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or the boundary of Eco-sensitive Zone whichever is nearer.
		Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3:
		(b) Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.
		(c) Further, beyond one kilometer upto the extent of Eco- sensitive Zone construction for bone fide local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Trenching ground.	Establishing of new trenching ground is prohibited. Old trenching grounds are to be regulated under applicable laws.
13.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
14.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
15.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
16.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
17.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government;
		(b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
		(c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
18.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan.
19.	Setting up of mobile communication towers.	Regulated under applicable laws.
20.	Insulation of electric lines.	Promote underground cabling. All existing electric lines passing through the Eco-sensitive Zone shall be adequately insulated in the time frame prescribed under the Zonal Master Plan.

21.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
22.	Fencing of existing premises of hotels and	Regulated under applicable laws.
	lodges.	In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than 1 meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
23.	Use/disposal of plastic bags.	Regulated under applicable laws.
24.	Collection of Non-timber forest products.	Regulated under applicable laws.
25.	Drastic change of agriculture system.	Regulated under applicable laws.
	Commercial use of natural water resource including ground water harvesting.	Regulated under applicable laws.
26.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.
27.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Sign board and hoardings.	Regulated under applicable laws.
29.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
30.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agrobased industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
Promoted Activ	vities	
31.	On going agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
35.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the followingm namely:

Member

(i) Deputy Commissioner, Tinsukia - Chairman
 (ii) Representative of Dy. Commissioner, Dibrugarh - Member
 (iii) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Assam for a period of one year.
 (iv) Chair person of Tinsukia & Doom Dooma Municipality - Member Board /Town Committee

(v) One representatives of non-Governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the Government of Assam for a period of one year.

- Member-Secretary.

- Project Director, DRDA, Dibrugarh & Tinsukia District (vi) Member (vii) General Manager, DIC, Dibrugarh & Tinsukia Member (viii) Regional Officer, Assam State Pollution Control Board Member (ix) Divisional Forest Officers, Dibrugarh (T), Doom Member Dooma & Digboi Division District Fishery Officer, Dibrugarh & Tinsukia (x) Member (xi) District Agriculture Officer, Dibrugarh & Tinsukia Member (xii) DFO Territorial, Tinsukia (WL Div.)
- 6. Terms of Reference.- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the (3) erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, (6) representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st (7) March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per pro forma given in Annexure IV.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving 7. effect to provisions of this notification.
- The provisions of this notification are subject to the orders, if any, passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/7/2016-ESZ-RE]

Dr. T. Chandini, Scientist 'G'

Annexure-I

List of villages falling in Eco-sensitive Zone

SL NO	NAME OF THE VILLAGE/ T E etc.	DISTRICT	LATITUDE	LONGITUDE
1	Raidang Gaon	Dibrugarh	095° 11'04.6" E	27° 34' 09.9" N
2	Bindhakata Gaon	Dibrugarh	095° 12' 08.7" E	27° 33' 35.3" N
3	Rangmola Gaon	Dibrugarh	095° 12' 49.4" E	27° 34' 07.1" N

4	Mirigaon	Dibrugarh	095° 13' 15.1" E	27° 34' 00.5" N
5	Tengabari Gaon	Dibrugarh	095° 14' 00.1" E	27° 34' 03.4" N
6	Gereki Gaon	Dibrugarh	095° 14' 56.6" E	27° 33' 54.6" N
		-		
7	Khamtigowali Gaon	Tinsukia	095° 16' 43.5" E	27° 33' 57.6" N
8	Erasuti Gaon	Tinsukia	095° 19' 26.9" E	27° 35' 27.4" N
9	Guijan Gaon	Tinsukia	095° 19' 29.5" E	27° 34' 32.6" N
10	Dighasltarrang Gaon	Tinsukia	095° 23' 28.7" E	27° 36' 34.7" N
11	Baghjan Gaon	Tinsukia	095° 23' 32.2" E	27° 36' 20.3" N
12	Kaliapani Gaon	Tinsukia	095° 22' 45.8" E	27° 35' 59.0" N
13	Guijan Ghat	Tinsukia	095° 19' 30.5" E	27° 34' 40.5" N
14	No. 3 Bormura Gaon	Tinsukia	095° 33' 00.6" E	27° 44' 45.7" N
15	Kopahtoli Gaon	Tinsukia	095° 31' 46.0" E	27° 44' 27.2" N
16	Thekaratoli Gaon	Tinsukia	095° 31' 10.9" E	27° 44' 20.1" N
17	Naokata Gaon	Tinsukia	095° 31' 15.4" E	27° 44' 39.6" N
18	Kailashpur Gaon	Tinsukia	095° 30' 41.3" E	27° 44' 09.7" N
19	Felai Gaon	Tinsukia	095° 32' 07.9" E	27° 45' 20.3" N
20	Noarmura Rai Basti	Tinsukia	095° 32' 34.7" E	27° 44' 53.4" N
SL NO	NAME OF THE VILLAGE/ T E etc.	DISTRICT	LATITUDE	LONGITUDE
21	No. 2 Bormura Gaon	Tinsukia	095° 32' 48.9" E	27° 45' 10.2" N
22	Na-Bormura Gaon	Tinsukia	095° 33' 45.0" E	27° 45' 07.9" N
23	Bormura Gaon	Tinsukia	095° 34' 51.5" E	27° 44' 50.6" N
24	Miripather Christian Basti	Tinsukia	095° 35' 02.6" E	27° 45' 06.5" N
25	Miripather Gaon	Tinsukia	095° 35' 30.5" E	27° 45'21.2" N
26	Doijan (Dogiyan)	Tinsukia	095° 26' 50.5" E	27° 38' 31.3" N
27	Rangagora Factory	Tinsukia	095° 17' 45.12" E	27° 34'14.43" N
28	Dinjan Tea Estate	Tinsukia	095° 16' 33.14" E	27° 33'38.65" N
29	Balijan Tea Estate	Dibrugarh	095°09' 57.02" E	27° 32'32.58" N
30	Baghjan Tea Estate	Tinsukia	095° 25' 43.94" E	27° 36'36.59" N
31	Dighal Tarang Tea Estate	Tinsukia	095° 25' 07.48" E	27° 37'19.07" N

ANNEXURE-II

Geo-coordinates at Four Corners along Boundary of Eco-sensitive Zone

Boundary description of DIBRU SAIKHOWA ECO SENSITIVE ZONE

South: - Eco sensitive boundary of Dibru Saikhowa National Park starts from the west of Balijan tea factory at the distance 1.5km. at the coordinate of station B-87(095° 09' 41.05" E, 27° 33' 07.91" N).then it runs towards 18 km east to Guijan market, station no B-69(095° 19' 28.13" E, 27° 34' 30.51" N), then it runs towards Natun gaon about 3km from Guijan Market, near station B-66(095° 21' 00.67" E, 27° 34' 28.54" N), covering the whole maguri bill to the 32 km south east, station b65(095°21'33.16" E, 27°34'37.51"N),B-64,B-62,B-61,B-60,B-59,B-58,B-57,B-56,B-55,B-54,B-53,B-52,B-51,B-50,B-49,B-48,B-47,B-46,B-45,B4,B-43,B-42,B-41,B-40,B-39,B-38,B-37,B-36,B-35,B-34 and ,B-33 (095°21'52.83"e,27°35'17.12" n) again at the distance of about 29 km to the north east hatiguli gaon at station B-4(095° 31' 52.34" E, 27° 45' 44.78" N)near the station B-1(095° 33' 19.13" E, 27° 45' 59.36" N)and then crossing the Lohit river towards lower bank station B-188(095° 09' 22.83" E, 27° 32' 57.71" N)and upper bank station B-187(095° 09' 41.05" E, 27°


33' 07.91" N) towards the end of southern boundary at Balijan Chapori(miri chapori) station B-186(095° 10' 07.97" E, 27° 33' 29.61" N).

East:-starts from Balijan Chapori which is also known as Miri Chapori station B-186(095° 10' 07.97" E, 27° 33' 29.61" N) towards 5km north west direction station B-181(095° 40' 21.40" E, 27° 49' 57.07" N) at kundil village(about 2km distance from sadiya ghat) crossing the river kundil at station B-182(095° 40' 53.78" E, 27° 49' 46.57" N).

North:-Basically this is the southern bank of the river Brahmaputra, starts from kundil village station B-181(095° 40' 21.40" E, 27° 49' 57.07" N)runs 3km south west toward the ghurmura forest at station B-179(095° 39' 22.13" E, 27° 49' 26.94" N) towards 78km southwest at station B-101(095° 05' 36.96" E, 27° 36' 31.49" N) which is about 6.8 km Aerial distance towards northwest direction from Rohmoria tea garden.

West:-starts from station B-101(095° 05' 36.96" E, 27° 36' 31.49" N) towards northwest having aerial distance of 6.8 km from Rohmoria tea garden to the west of balijan tea factory at the distance 1.5km, at the coordinate of traverse station point B-87(095° 09' 41.05" E, 27° 33' 07.91" N)

ANNEXURE-III
MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF DIBRU-SAIKHOWA NATIONAL PARK WITH LATITUDES
AND LONGITUDES



ANNEXURE-IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

- 1. Number and date of meetings.
- 2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).
 - [Details may be attached as annexure]
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.
 - [Details may be attached as separate annexure]
- 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.
 - [Details may be attached as separate annexure]
- 7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.